an>

Title: Ruling regarding notices of Adjournment motion.

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Shri Anto Antony, Shri Deepender Singh Hooda, Shri Jyotiraditya Scindia. The matters though important do not warrant interruption of business of the day. Shri Anto Antony raised the matter of rubber prices. I have allowed it two, three times. Still, I know the problem. Jyotiradityaji raised the issue of heavy rains and that also we discussed it yesterday. We are going to discuss agrarian crisis again. So, I disallow these notices of Adjournment Motion. I will allow you afterwards.

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया,...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कल भी यही बात उठी है और इसी बात पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होनी है। स्वनीत जी की बात सस्पैंशन ऑफ क्वश्चन आवर की है, लेकिन उस विषय को बाद में उठाया जा सकता है।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : जैसे अभी आपने कहा, कृषि क्षेत्र में जो स्थिति है, उस पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा कराने के बारे में सरकार भी चाह रही है। हमारे भी बहुत से सदस्यों ने इस विषय को उठाया है क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों में सिचुएशन गंभीर है। इसलिए जब नियम 193 के अंतर्गत चर्चा होगी, तो इसके साथ उसे भी जोड़ देंगे। दोनों मंत्री बैठेंगे। हम उचित समय पर बिल पारित होने के बाद चर्चा के लिए तैयार हैं।

माननीय अध्यक्ष : इस तरफ से भी बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बारे में कहा है। पूरे देश में नुकसान हुआ है। अगर हम एक साथ किसानों की चर्चा करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदया, इस विषय को प्रॉयरिटी दी जाए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यही मुद्दा कल भी उठाया गया है। सब लोग चिंतित हैं। मैंने ऐलाऊ भी किया था।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : महोदया, बिल से पहले इस विषय पर चर्चा हो जाए तो अच्छा होगा।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : वह देख लेंगे कि कैसे करना है।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : एजैंडे के मुताबिक वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन और रिपिलिंग एक्ट दो बिल हैं। अगर इन बिलों से पहले चर्चा शुरू हो जाए तो सब सदस्य पार्टीसिपेट कर सकेंगे। ये बिल ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हैं जबकि हर बिल पास हो रहे हैं। हमने आज तक 5-6 बिल पास करके दिए हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह विषय महत्वपूर्ण है, इसलिए बिल अलग रख दीजिए और इस पर चर्चा शुरू करवा दीजिए ताकि सब सदस्य हिस्सा ले सकें।

माननीय अध्यक्ष : मैं बात कर लूंगी। अगर सब सहमत हों तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : बिल पारित होने के बाद इस बारे में चर्चा करेंगे।

माननीय अध्यक्ष : दोनों बिल छोटे-छोटे हैं।

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : छोटे-छोटे बिल हैं और वे भी सपोर्ट करने वाले हैं।

माननीय अध्यक्ष : हम चर्चा करवा देंगे, आप चिन्ता मत कीजिए। मैं जानती हूं कि इस विषय पर सब सदस्य चर्चा चाहते हैं।

श्री स्वनीत सिंह (लुधियाना) : मैडम, मैंने जो कहा है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मैंने आपकी बात भी बताई है कि ज़ीरो आवर में बोलने का चांस दूंगी, लेकिन शान्ति से विषय उठाइए।